अपील सूचना अधिकार संख्या 28/2021(GCMS 2021/49)(आरटीआई नं. 212852113033640) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवासी 23–के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/313835) बनाम प्रभारी अधिकारी जन अभाव निराकरण समिति एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2021 से सोलह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सोलह बिन्दुओ की सूचना चाही थी:

1. पत्रांक प्रार्थी दिनांक 16.10.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति की दिनांक की सूचना बाबत प्रार्थी के प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के द्वारा निपटाने हेतु।
2. पत्र प्राप्ति से [illegible] तक पत्र पर कार्यवाही करने वाले कार्मचारी व [illegible] का नाम व पद कीसूचना व कार्यवाही की प्रमाणित [illegible]
3. प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के द्वारा [illegible] जाने में लगने वाले समय की सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. पत्रांक प्रार्थी 7718 दिनांक 08.09.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्रार्थी का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. जिला कलक्टर साहब द्वारा प्रार्थी के पत्र पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के समक्ष सुने जाने हेतु जो आदेश व मार्किंग करने के उपरान्त भी प्रकरण न सुने जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
6. प्राथी का प्रकरण जन अभियोग निराकरण समिति द्वारा जिस नियम के अन्तर्गत नहीं सुना गया, उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
7. प्रकरण राधेश्याम गोयल बनाम श्री अरविन्द जाखड़ 2 रीडर अशोक नागपाल बाबत जांच अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2019 विरूद्ध श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई को ठंडे बस्ते में करने बाबत सूचना व उस पर कार्यवाही व प्रार्थी को न सुने जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. उपरोक्त पत्रांक दिनांक 09.09.2020 प्रार्थी द्वारा श्री एम.आर. खन्ना आदि के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जो पत्र लिखे गये उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
9. इसी पत्र में श्री भूपेन्द्र ज्याणी आदि को लिखे गये प्रार्थी के पत्रांक पर की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
10. जिला कलैक्टर के सतर्कता विभाग में कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करने के उपरांत जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में प्रकरण विभाग के जिस नियम के अन्तर्गत प्रकरण नही सुना गया उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
11. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में सुने जाने की तिथि [illegible]
12. प्रार्थी का पत्रांक 7720 [illegible] 2020 अनवान राधेश्याम गोयल बनाम [illegible] दार श्री संजय अग्रवाल के आपके कार्यालय में [illegible] की तारीख व आर/आर की सूचना व प्राप्ति की प्रमाणित [illegible]।
13. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

14. पत्रांक 7720 दिनांक 7.9.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने से लेकर दिनांक 27.01.2021 तक जो जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
15. प्रार्थी के पत्रांक पर कार्यवाही न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
16. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा सतर्कता शाखा में मार्किंग करने के उपरान्त प्रकरण सतर्कता शाखा द्वारा जन अभियोग निराकरण समिति में सुने जाने की दिनांक की सूचना।

प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/अपील/6999 दिनांक 30.05.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है और प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलोत्तर निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:

प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मा. संभागीय आयुक्त, बीकानेर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2021 जो कार्यालय लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर प्रशासन से इस शाखा में प्राप्त दिनांक 15.03.2021 में चाही गई सूचना इस शाखा से सम्बन्धित सूचना जो **सतावन पृष्ठ की है जो दो रूपये प्रति पेज की दर से एक सौ चौदह रूपये का पोस्टल आर्डर जमा करवा कर प्राप्त करने** व इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना की आवश्यकता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को इस शाखा के पत्रांक 6791 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा रजिस्टर्ड पत्र लिखा गया। (चित्रित प्रति संल... पर प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक उक्तानुसार फीस जमा नहीं करवाई गई है। फीस जमा करवाने पर नकले उपलब्ध करवाई जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालयों से सम्बन्धित सूचना के लिए पत्रांक 6792—99 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा सम्बन्धित

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी को सूचना प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध करवाने के लिए लिख दिया गया है। (चित्रित प्रति संलग्न)

अतः जवाब अपील सादर प्रस्तुत है।

संलग्न : उक्तानुसार।

भवदीय
-sd-
प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है जिसके अनुसार अपीलार्थी उनकी शाखा से सम्बन्धित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार राजकोष में राशि जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता हैं तथा शेष सूचना अन्य सम्बन्धित विभाग/शाखा से प्राप्त कर सकता है, जिस हेतु लोक सूचना अधिकारी ने अपने रजिस्टर्ड पत्रांक सतर्कता/ /2021/6791 दिनांक 17.03.2021 से भी प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है **कि अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार राजकोष में राशि जमा करवा दे तो अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे उपलब्ध करवा दी जावे।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पाल[illegible] अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब [illegible] हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2023 [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर